63

न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 38/20 सन् 2020

आरसीएमएस संख्या 2020/00162

बउनवानी :– 1. हरिलाल पुत्र गंगाधर जाति कोली निवासी महुकलां तह0 गंगापुर सिटी

बनाम

1. कोशल्या बेवा कल्याण जाति कोली निवासी महुकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. मनोज पुत्र पूरण जाति कोली निवासी महुकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. लखन पुत्र पूरण जाति कोली निवासी महुकलां तहसील गंगापुर सिटी
4. लवकुश पुत्र पूरण जाति कोली निवासी महुकलां तहसील गंगापुर सिटी
5. शांति बेवा रमेश जाति कोली निवासी महुकलां तहसील गंगापुर सिटी
6. विनोद पुत्र रमेश जाति कोली निवासी महुकलां तहसील गंगापुर सिटी
7. मुन्ना लाल पुत्र गंगाधर जाति कोली निवासी महुकलां तहसील गंगापुर सिटी
8. तहसीलदार गंगापुर सिटी

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्व तहसीलदार गंगापुर सिटी मे जैरकार प्रकरण नामा0 पत्रावली संख्या 1/2018 उनवानी कोशल्या बनाम हरिलाल, अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थितः 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 9.3.2022

वकील प्रार्थी ने न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी में विचाराधीन नामा0 पत्रावली संख्या 1/2018 उनवानी कोशल्या बनाम हरिलाल,अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि प्रार्थी हरिलाल के विरूद्व नामा0 संख्या 345 दिनांक 21.8.2010 की अपील विपक्षीगणो ने न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहॉ प्रस्तुत की गयी थी उक्त अपील दिनांक 23.4.2018 को तहसीलदार गंगापुर सिटी को विधिवत सुनवायी हेतु रिमाण्ड की गयी थी। तहसीलदार गंगापुर सिटी मे विचाराधीन प्रकरण में आगामी पेशी 21.10.2020 नियत थी। प्रार्थी गत ढाई वर्ष से तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ चक्कर काट रहा है लेकिन तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा निर्णय पारित नही किया जा रहा है जब प्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी से उक्त प्रकरण का निर्णय करने के लिए कहता है तो प्रार्थी को डांट कर भगा देते है एवं विपक्षीगणो से बात करते रहते है इसलिए प्रार्थी को अन्देशा हो गया है कि तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्रार्थी [illegible] से निर्णय नही किया जावेगा। इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रकरण मे पीठासीन अधिकारी [illegible] की बिल्कुल उम्मीद शेष नही होने के कारण प्रार्थी का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा [illegible] जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी के न्यायालय में जैरकार उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत [illegible] प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:18:05 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 38/2020 हरिलाल बनाम कोशल्या वगै.)

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्योकि तहत न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण मे विधिवत कार्यवाही की जा रही है। यह तर्क भी दिया कि आदेशिका दिनांक 4.10.2019 को स्वंय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश कर सिविल न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पेश करने को समय चाहा उसके पश्चात दिनांक 16.10.2019 को अपर जिला जज गंगापुर सिटी से संबंधित आदेशिका की फोटो प्रति पेश कर आगामी पेशी ली गयी। इसके पश्चात दिनांक 1.11.2019 को ग्राम न्यायालय से स्टे आदेश प्राप्त कर तहसीलदार को पेश कर प्रकरण की कार्यवाही स्थगित करवायी थी। उसके पश्चात अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर प्रकरण में पुनः कार्यवाही शुरू की गयी परन्तु प्रार्थी द्वारा दिनांक 4.3.2020 को पुनः एक प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण के संबंध में सिविल न्यायालय से स्टे लाने का कथन कर समय लिया गया परन्तु प्रकरण में कोरोना काल के पश्चात भी कोई स्टे पेश नही किया गया। प्रार्थी को कई बार क्रमशः दिनांक 26.6.2020, 15.7.2020, 5.8.2020, 19.8.2020, 9.9.2020, 24.9.2020, व 21.10.2020 को लगातार अन्तिम अवसर देने के पश्चात भी प्रार्थी बहाने बनाकर समय चाहते हुए तारीख लेता रहा है। उसके पश्चात पीठासीन अधिकारी पर मिथ्या एवं निराधार आरोप लगाते हुए श्रीमान के समक्ष मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर प्राप्त टिप्पणी में पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित किया गया कि प्रकरण संख्या 4/12 मे पारित निर्णय 23.4.2018 से उक्त प्रकरण में नामा0 संख्या 345 दिनांक 21.8.2010 ग्राम महूँकलां निरस्त किया जाकर तहसीलदार को पुनः सुनवायी कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किय गया था जिसकी पालना मे प्रकरण दर्ज कर नियमित सुनवायी की जा रही है। प्रार्थी हरिलाल द्वारा माननीय न्यायालय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय गंगापुर सिटी द्वारा प्रकरण संख्या 46/12 मे स्थगन आदेश प्राप्त कर प्रति न्यायालय मे प्रस्तुत की जाने पर कार्यवाही स्थिगित की गयी इसके उपरान्त दिनांक 1.2.2020 को निर्णय होने पर पुनःकार्यवाही चालू की गयी। प्रकरण मे प्रार्थी हरिलाल को सुनवायी का समुचित अवसर दिया गया है किन्तु वह साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने के नाम बार बार तारीख पेशी लेता रहा है। इस प्रकार प्रार्थी हरिलाल प्रकरण का निस्तारण करने मे देरी करने की मंशा से पीठासीन अधिकारी पर प्रार्थी द्वारा निराधार व तथ्यहीन आरोप लगाये गये है ।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापो की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नही होती है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी द्वारा किया गया कथन कि प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है कि पुष्टि प्रस्तुत आदेशिका दिनांक 26.6.2020, 15.7.2020, 5.8.2020,19.8.2020, 9.9.2020, 24.9.2020, व 21.10.2020 जिसमे साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने हेतु कई बार अन्तिम अवसर दिये गये है। प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र महज प्रकरण के निस्तारण में दैरीना करने की दृष्टि से निराधार तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय कि किसी भी पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण का निस्तारण साक्ष्य,सबूतो एवं दस्तावेजात के आधार पर किया जाता है। चूंकि प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण की सुनवायी [illegible] है इसलिए उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की आवश्यक[illegible]। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सारहीन प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार [illegible]किली प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:18:05 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 9.3.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर